डाक/ईमेल/अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकःएफ 13(7)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2023 जयपुर, दिनांक : 19-10-2023

अतिरिक्त गेहूं आवंटन आदेश माह सितम्बर, 2023
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश संख्या 7–1/2019–बीपी–III पार्ट V (e-376706) दिनांक 16.10.2023 एवं विभागीय आदेश दिनांक 07/08.02.2019 तथा गाईडलाईन दिनांक 12.02.2019 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी के राशनकार्डधारी लाभार्थियों को निःशुल्क पात्रतानुसार **माह सितम्बर, 2023** हेतु गेहूं का जिलेवार **अतिरिक्त उप–आवंटन** संलग्न **परिशिष्ट–1** के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप–आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में निम्नानुसार किया जा रहा है :–

गेहूं आवंटन की श्रेणियां (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	निःशुल्क
द्वितीय	PHH (Others)	निःशुल्क

2– खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक **17.07.2023** की अद्यतन संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्द्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।

3– खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर समय पर उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक,नागरिक आपूर्ति की होगी।

4– खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।

5– उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी। *जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति संयुक्त रूप से आवंटित गेहूं की सम्पूर्ण मात्रा को पॉस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेगें। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।*

6– योजनान्तर्गत थोक विक्रेता (KVSS/MCS) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित गेहूं के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था समुचित मार्गदर्शन देकर प्रारम्भ करवाये जाने हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना की जाए तथा संधारित रजिस्टर के सैम्पल जांच नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किया जाए, ताकि अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के लाभार्थियों को निर्धारित पात्रतानुसार गेहूं प्राप्त होने की पुष्टि हो सकें।

7— नवीन व्यवस्था अन्तर्गत श्रेणीवार वितरित गेहूं का माहवार स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन पोस पर परिलक्षित अनुसार ऑपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेन्स स्पष्ट अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन वितरण एवं अवशेष स्टॉक की मात्रा श्रेणीवार (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं PHH अन्य) संधारित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में श्रेणीवार प्रविष्ट मात्रा का मिलान पोस पर परिलक्षित मात्रा से होना आवश्यक है।

8— गेहूं वितरण की ग्राहक पर्ची (Beneficiary Reecipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

9— सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डो की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर जिला रसद अधिकारी अपने स्तर से उचित मूल्य दुकानवार आवंटित मात्रा में कमी करते हुए उप आवंटन जारी करें।

10— ऑफलाईन वितरित किये गये गेहूं की आगामी माह की 15 तारीख तक पॉस मशीन/पोर्टल पर इन्द्राज एन्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करें। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होगें।

11— **माह सितम्बर, 2023** के पेटे अतिरिक्त आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव/वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावें।

12— **माह सितम्बर, 2023** हेतु अतिरिक्त आवंटित गेहूं का चयनित पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क वितरण कराया जावेगा।

13— माह सितम्बर, 2023 हेतु आदेश दिनांक 16.08.2023 द्वारा किये गये आवंटन के आधार पर अनुपातिक रूप से अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है।

14— माह सितम्बर, 2023 के अतिरिक्त आवंटन हेतु भारत सरकार द्वारा वैधता अवधि दिनांक 31.10.2023 निर्धारित की गई है। इसके पश्चात् वैधता अवधि किसी भी स्थिति में नहीं बढाई जावें। अतः माह सितम्बर, 2023 अतिरिक्त आवंटित मात्रा का शत—प्रतिशत उठाव दिनांक 31.10.2023 तक कराया जाना सुनिश्चित करें।

15— माह सितम्बर, 2023 हेतु अतिरिक्त आवंटित गेहूं के वितरण के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जावेगें।

विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार आवंटित खाद्यान्न (गेहू) का उठाव निर्धारित अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें। *भारत सरकार द्वारा वैधता अवधि का विस्तार नहीं किये जाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये है।*

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्ते पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(आशीष कुमार)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

क्रमांकःएफ 13(7)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2023 जयपुर, दिनांक : 19-10-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, खाद्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि राज्य की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर पोस मशीन में पीएमजीकेएवाई के अवशेष स्टॉक को एनएफएसए स्टॉक में स्थानान्तरित कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करावें।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार(खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त(प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग,राज.जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
9. महाप्रबंधक(क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि **खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) के रिलीज आर्डर स्थानीय/ निकटतम एफ.सी.आई. गोदामों से जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।**
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि **उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रकिया अंतिम दिन के पश्चात् बन्द कराया जाना सुनिश्चित करें।**
11. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान/प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि **आवंटित गेहूं का नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उक्त योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेहूं का शत-प्रतिशत उठाव कराया जाकर एवं वितरण सुनिश्चित करावें। भारत सरकार के निर्देशानुसार वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रकिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द करदी जावेगी। अतः निर्धारित वैधता अवधि में शत-प्रतिशत मात्रा का उठाव कर उचित मूल्य दुकानवार चालान काटा जाना सुनिश्चित करें।**
12. **एनालिस्ठ ति प्रोग्रामर (खाद्य) को प्रेषित कर लेख है कि जनआधार प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में अंकित कार्मिकों को ई-पोस से वितरण पर रोक लगाये जाने के लिए सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें तथा ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों द्वारा किये गये वितरण का पार्टल पर इन्द्राज कराने हेतु आगामी माह की 15 तारीख तक ऑप्सन खुलवाने की कार्यवाही करें। साथ ही उचित मूल्य दुकानों पर पोस मशीन में पीएमजीकेएवाई के अवशेष स्टॉक को एनएफएसए में स्थानान्तरित कराया जाना सुनिश्चित करें।**
13. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

परिशिष्ट-1

NFSA Regular Wheat Allotment September-2023 Additional

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment (M.T.)
		Net NFSA AAY Allotment (M.T.)	Net NFSA BPL Allotment (M.T.)	Net NFSA SBPL Allotment (M.T.)	Net NFSA APL Allotment (M.T.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	76.035	116.698	47.720	757.435	997.888
2	Alwar	69.658	144.846	51.175	985.021	1250.700
3	Banswara	188.402	299.195	88.879	367.629	944.105
4	Baran	184.081	104.188	22.671	324.475	635.415
5	Barmer	87.666	266.295	40.850	641.775	1036.586
6	Bharatpur	45.430	133.300	30.062	616.417	825.209
7	Bhilwara	101.792	189.737	61.424	557.137	910.090
8	Bikaner	50.941	257.096	56.487	465.701	830.225
9	Bundi	52.220	84.988	24.825	315.983	478.016
10	Chittaurgarh	110.976	110.766	70.173	294.210	586.125
11	Churu	91.244	223.524	46.025	449.686	810.479
12	Dausa	39.534	126.052	19.098	458.946	643.630
13	Dhaulpur	36.295	81.370	17.208	380.707	515.580
14	Dungarpur	130.103	305.235	42.912	271.706	749.956
15	Ganganagar	47.267	162.244	18.072	490.697	718.280
16	Hanumangarh	55.491	122.463	21.305	404.546	603.805
17	Jaipur	56.873	205.531	65.358	1614.950	1942.712
18	Jaisalmer	25.855	53.042	13.194	147.079	239.170
19	Jalor	93.481	193.904	41.862	445.131	774.378
20	Jhalawar	65.676	138.986	34.008	411.004	649.674
21	Jhunjhunun	40.970	71.348	27.163	741.202	880.683
22	Jodhpur	17.677	120.821	12.531	570.889	721.918
23	Karauli	65.780	173.785	32.224	300.455	572.244
24	Kota	38.899	137.296	20.416	394.267	590.878
25	Nagaur	70.381	167.641	44.955	1135.632	1418.609
26	Pali	76.783	163.626	42.772	530.986	814.167
27	Pratapgarh	41.922	101.124	24.494	156.529	324.069
28	Rajsamand	72.564	109.922	30.254	310.294	523.034
29	Sawai Madhopur	60.793	101.668	34.358	330.056	526.875
30	Sikar	35.047	98.094	21.498	880.949	1035.588
31	Sirohi	40.793	71.338	22.690	316.817	451.638
32	Tonk	61.639	100.475	38.862	364.889	565.865
33	Udaipur	182.827	410.726	85.502	544.439	1223.494
Total		**2415.095**	**5147.324**	**1251.027**	**16977.639**	**25791.085**

Date.
19.10.23.

(आशीष कुमार)
उपायुक्त एवं उप-शासन सचिव,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग